न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

अपील संख्याः—19A / 2017

निर्णय दिनांकः—27.03.2018

उनवान

सन्तोक पुत्री माधो जाति जाट निवासी करेडा बु. तहसील निवाई जिला टोंक

—अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत करेडा बु. जरिये सचिव ग्रा.पं. करेडा बु. तहसील निवाई
2. तहसीलदार सा0 निवाई

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं. 642 ग्राम करेडा बु.
निर्णय दिनांक 13.1.1998

उपस्थितः—श्री रमेश कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि ग्राम करेडा बु. में मृतक माधो पुत्र देवा जाति जाट सा. देह करेडा बु. थे। जिनकी विरासत का नामान्तकरण नं. 642 ग्राम पंचायत करेडा बु. द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.1.1998 से स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण भरते समय पटवार हल्का करेडा बु. द्वारा सही जानकारी न लेकर भरा गया, जो गलत है, गिरदावार जी ने भी ठीक प्रकार से मौके पर वारिसान की जांच न कर तस्दीक कर दिया, जिस अनुसार ग्राम पंचायत ने भी उक्त नामान्तकरण बिना जांच किये तस्दीक कर दिया जिस अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया, जो आज दिन तक चला आ रहा है। अतः अपील अपीलार्थी पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाया जाकर नामांतकरण संख्या 642 निर्णय दिनांक 13.1.1998 ग्राम करेडा बु. को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट सन्तोक पुत्री माधो व माता बरजी बेवा माधो दुरूस्त फरमा कर शेष खातेदारान को यथावत रखते हुये नामान्तकरण वादपत्र में वर्णित सजरा अनुसार सीताराम, लल्लू पि. माधो जाट, गुलाब, बदाम, मूली, राजा, सन्तोक पुत्रियां माधो बरजी बेवा माधो जाट सा. देह करेडा बु. के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार निवाई को आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला टोंक

Scanned by CamScanner

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्टस की गई। रेस्पोडेन्ट्स बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी।

वकील अपीलांट की बहस एकतरफा सुनी गयी। बहस में प्रस्तुत अपील का दोहरान करते हुये बताया कि ग्राम करेडा बु. में मृतक माधो पुत्र देवा जाति जाट सा. देह करेडा बु. थे। जिनकी विरासत का नामान्तकरण नं. 642 ग्राम पंचायत करेडा बु. द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.1.1998 से स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण भरते समय पटवार हल्का करेडा बु. द्वारा सही जानकारी न लेकर भरा गया, जो गलत है, गिरदावार जी ने भी ठीक प्रकार से मौके पर वारिसान की जांच न कर तस्दीक कर दिया, जिस अनुसार ग्राम पंचायत ने भी उक्त नामान्तकरण बिना जांच किये तस्दीक कर दिया जिस अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया, जो आज दिन तक चला आ रहा है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाया जाकर नामांतकरण संख्या 642 निर्णय दिनांक 13.1.1998 ग्राम करेडा बु. को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट सन्तोक पुत्री माधो व माता बरजी बेवा माधो दुरूस्त फरमा कर शेष खातेदारान को यथावत रखते हुये नामान्तकरण वादपत्र में वर्णित सजरा अनुसार सीताराम, लल्लू पि. माधो जाट, गुलाब, बदाम, मूली, राजा, सन्तोक पुत्रियां माधो बरजी बेवा माधो जाट सा. देह करेडा बु. के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार निवाई को आदेश प्रदान करें।

वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन मनन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपील स्वीकार योग्य है। नामांतकरण संख्या 642 निर्णय दिनांक 13.1.1998 ग्राम करेडा बु. को निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार निवाई को रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार सुनवाई कर वारिसान की जांच कर नामान्तकरण की कार्यवाही करें।

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

27/3/18

हरिताभ कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई(टोंक)

Scanned by CamScanner